एक नजर

बेहोशी की हालत में मिले घायल बुजुर्ग को समय पर पहुँचाया अस्पताल

इंदौर,(नप्र)। थाना विजय नगर क्षेत्र में डायल-112 जवानों की तत्परता, संवेदनशीलता एवं मानवीय कार्यवाही से बेहोशी की हालत में मिले घायल बुजुर्ग को समय पर अस्पताल पहुँचाकर उपचार उपलब्ध कराया गया तथा परिजनों से संपर्क स्थापित कर आवश्यक सहयोग सुनिश्चित किया गया। 17 मई को राज्य स्तरीय पुलिस कंट्रोल रूम डायल-112, भोपाल को सूचना प्राप्त हुई कि थाना विजय नगर क्षेत्र अंतर्गत एक बुजुर्ग व्यक्ति घायल अवस्था में पड़े हुए हैं एवं तत्काल पुलिस सहायता की आवश्यकता है। सूचना प्राप्त होते ही विजय नगर थाना क्षेत्र में तैनात डायल 112 वाहन को तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। डायल-112 स्टाफ आरक्षक सुनील कुमार मालवीय, आरक्षक श्री कर ा चौधरी एवं घायलट सचिन मौर्य ने मौके पर पहुँचकर पाया कि बुजुर्ग व्यक्ति गंभीर रूप से घायल थे तथा बातचीत करने की स्थिति में भी नहीं थे।डायल-112 जवानों ने तत्परता एवं संवेदनशीलता का परिचय देते हुए तत्काल घायल बुजुर्ग को डायल 112 वाहन में सुरक्षित बैठाकर अस्पताल पहुँचाया। अस्पताल में भर्ती कराने के पश्चात भी डायल-112 टीम ने मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए आसपास के लोगों से पूछताछ की तथा बुजुर्ग की फोटो के माध्यम से उनके परिजनों का पता लगाने का प्रयास किया। पुलिस जवानों के त्वरित प्रयासों से बुजुर्ग के भतीजे से संपर्क स्थापित हुआ, जो सूचना मिलते ही अस्पताल पहुँचे। डायल-112 जवानों की त्वरित, संवेदनशील एवं समर्पित कार्यवाही से घायल बुजुर्ग को समय पर चिकित्सा सहायता एवं पारिवारिक सहयोग उपलब्ध कराया जा सका। डायल-112 हेरीज श्रृंखला के अंतर्गत यह घटना दर्शाती है कि मध्यप्रदेश पुलिस की डायल-112 सेवा आमजन, विशेषकर जरूरतमंद एवं असहाय व्यक्तियों की सहायता हेतु सदैव सजग, संवेदनशील एवं प्रतिबद्ध है।

अन्नपू ार्ा मंदिर पर 108 विद्वानों द्वारा भागवत के मूल पाराय ण का शुभारंभ

इंदौर। पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में शहर के पश्चिमी क्षेत्र स्थित प्रमुख आस्था केंद्र अन्नपू ार्ा आश्रम मंदिर पर रविवार को सुबह आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी महाराज के सानिध्य एवं आचार्य पं. कल्या दत्त शास्त्री के निर्देशन में 108 भागवत का मूल पाराय ण अनुष्ठान शुरू हो गया। मंदिर के संचालक स्वामी जगदेवानंद गिरी ने बताया कि यहाँ प्रतिदिन सुबह 9 से 12 बजे एवं दोपहर 3 से 6 बजे तक 108 विद्वानों द्वारा श्रीमद भागवत का मूल पाराय ण 15 जून तक जारी रहेगा। आश्रम ट्रस्ट, मंदिर संचालन समिति एवं भक्त मंडल के संयुक्त तत्वावधान में सम्पू ार्ा अधिकमास के दौरान यह दिव्य अनुष्ठान होगा। इस दौरान प्रतिदिन माता अन्नपू ार्ा, माता काली एवं माता सरस्वती का नित्य नूतन श्रृंगार भी होगा। मंदिर के न्यासी मंडल के प्रमुख विनोद अग्रवाल, टीकमचंद गर्ग, दिनेश मित्तल, पवन सिंघानिया, श्याम सिंघल एवं सत्यनारायण शर्मा भी गुमारूल प्रसंग पर उपस्थित थे जिन्होंने शहर के आम भक्तों से इस दिव्य आयोजन का पु य लाभ उठाने का आग्रह किया। मंदिर पर मौसम को देखते हुए भक्तों की सुविधा के लिए छाया, बैठक, शीतल पेयजल, पूजा, अर्चना, दर्शन, वाहन पार्किंग आदि के समुचित प्रबंध किए गए हैं।

युगपुरुष धाम पर अपने विवाह के जश्न में आए मेहमानों के साथ नाच उठा दिव्यांग नवयुगल

इंदौर। पंचकुइया स्थित युगपुरुष धाम पर एक दिव्यांग युवा का विवाह समारोह पूजापाठ से परंपरागत रस्मों के बीच मनाया गया। युगपुरुष धाम के 28 वर्षीय राजेश सोलंकी का विवाह हरदा की 22 वर्षीय युवती संगीता के साथ बिलकुल घर परिवार के विवाह जैसे जश्न के साथ मनाया गया जिसमें संस्था के सचिव तुलसी धनराज शाटिजा, अध्यक्ष जाह्नवी पवन ठाकुर, प्राचार्य डॉ. अनिता शर्मा, डॉ. अंकुर अग्रवाल, डॉ. अनुजा त्रिपाठी, बालकल्या ा समिति के अध्यक्ष धर्मेन्द्र पंड्या, महिला बाल विकास विभाग के बाल संरक्ष ा अधिकारी रजनीश सिन्हा, सामाजिक न्याय विभाग के संयुक्त संचालक पवन चौहान, महिला बाल विकास की उपसंचालक अंशु बाला मसीह एवं उनकी टीम के सदस्यों ने शामिल होकर नवयुगल को उपहारों सहित विदाई दी। प्राचार्य डॉ. अनिता शर्मा ने बताया कि राजेश सोलंकी अपनी शारीरिक दिव्यांगता के चलते पिछले 9 वर्षों से संस्था में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। युगपुरुष स्वामी परमानंद गिरी महाराज की प्रेर ा और आशीर्वाद से उनका विवाह हाल ही में आयोजित एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में 22 वर्षीय युवती संगीता के साथ सम्पन्न हुआ। विवाह के आशीर्वाद समारोह में युगपुरुष धाम के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने खूब नृत्य किए और दिव्यांग होते हुए भी नवयुगल को अपने साथ नृत्य करने का अवसर दिया।

दो वाहनों से 340 पेटी शराब बरामद

ट्रक और स्कॉर्पियो की जांच, 4 को गिरफ्तार किया, देवास से अलीराजपुर जा रहे थे

इंदौर। कनाड़िया पुलिस ने अवैध रूप से शराब ले जा रहे चार लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 340 पेटी शराब जब्त की गई है। आरोपी ट्रक और स्कॉर्पियो कार में शराब का अवैध परिवहन कर रहे थे। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर शराब, ट्रक और कार को जब्त कर लिया है। उसने जानकारी निकाली जा रही है कि वे शराब कहां ले जा रहे थे।

कनाड़िया टीआई सहर्ष यादव ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि गाड़ियों में अवैध रूप से शराब का परिवहन किया जा रहा है। इस पर पुलिस ने तुरंत घेराबंदी की और जानकारी के मुताबिक एक ट्रक और स्कॉर्पियों कार को रोका।

तलाशी ली तो उसमें 340 शराब की पेटियां मिलीं। इस मामले में चार आरोपी रवि बाहेडिया, निवासी ग्राम अम्बुआ, अलीराजपुर, जगदीश चौहान निवासी ग्राम राडावाट, अलीराजपुर, राहुल गोद

निवासी कुमार खाड़ी बाणगंगा, धर्मेंद्र पीटनारायण अखाड़े निवासी नानपुर, अलीराजपुर को गिरफ्तार किया गया है। ये चारों गाड़ियों से देवास की तरफ इंदौर होते हुए अलीराजपुर की तरफ जा रहे थे।

कवर करके चल रहे थे

टीआई ने बताया कि कार और ट्रक एक दूसरे को कवर करके चल रहे थे, ताकि पुलिस से बच सके। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। कार की तलाशी ली तो कार की पिछली सीट के नीचे शराब छिपा रखी थी। इस मामले में चारों का पीआर लेकर डिटेल पूछताछ कर पता लगाया जाएगा कि इतनी शराब की पेटियां कहां से लाए और किन लोगों को सप्लाई करने वाले थे।

छात्रा से दोस्ती कर फोटो वीडियो किए वायरल

इंस्टाग्राम पर शुरू हुई थी बातचीत, करने लगा ब्लैकमेल, मौसेरी बहन को किए शेयर

इंदौर। गांधी नगर में एक छात्रा से इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर उसके फोटो-वीडियो वायरल करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने इंस्टाग्राम यूजर को आरोपी बनाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पुलिस के मुताबिक, एक स्कूली छात्रा की शिकायत पर गौरख पाटिल नाम के युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। छात्रा ने बताया कि एक माह पहले इंस्टाग्राम आईडी के जरिए उसकी गौरख से पहचान हुई थी।

इसके बाद आरोपी वीडियो कॉल कर अश्लील बातें करने लगा। उसने छात्रा से अश्लील फोटो और वीडियो मांगे, जिन्हें छात्रा ने उसे भेज दिया। बाद में आरोपी उसे ब्लैकमेल करने लगा। उसने छात्रा के पिता को जान से मारने की धमकी भी दी। डर के चलते छात्रा ने अपने मोबाइल से फोटो और वीडियो डिलीट कर दिए। इसके बाद आरोपी ने छात्रा की मौसी की बेटी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर छात्रा के फोटो और वीडियो उसे भेज दिए।

जब इसकी जानकारी परिवार को लगी तो उन्होंने छात्रा से पूछताछ की। तब छात्रा ने पूरी घटना परिवार को बताई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शेयर मार्केट निवेश के नाम पर 7 लाख की ठगी

एंजेल वन एप के जरिए मुनाफे का लालच देकर आरोपी फरार

इंदौर,(नप्र)। कनाड़िया थाना क्षेत्र में शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक मानवता नगर निवासी तरुण चौहान मनोरमागंज क्षेत्र में कैफे संचालित करते हैं। उन्होंने शिकायत में बताया कि उनकी पहचान उत्तर प्रदेश के रायबरेली निवासी अभिषेक पाल से हुई थी। अभिषेक ने खुद को शेयर मार्केट निवेशक बताते हुए अल्ली' डल्ली एप्लीकेशन के जरिए निवेश करने पर कई गुना मुनाफा दिलाने का भरोसा दिया।

7 लाख से अधिक की राशि खाते में ट्रांसफर करवाई- आरोपी की बातों में आकर तरुण ने 24 अप्रैल 2025 से 4 अक्टूबर 2025 के बीच अलग-अलग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम से कुल 7 लाख 23 हजार रुपए अभिषेक के खाते में ट्रांसफर कर दिए। आरोपी हर ट्रांजेक्शन के स्क्रीनशॉट और रसीद भी भेजता था, जिससे फरियादी को भरोसा बना रहा। कुछ समय बाद अभिषेक ने तरुण के फोन उठाना बंद कर दिए और निवेश की रकम भी वापस नहीं की। इसके बाद मामले की शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से की गई। जांच के बाद कनाड़िया पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।

बुजुर्ग डॉक्टर से चेन लूटकर भाग रहे बदमाश गिरे

इंदौर। तिलक नगर थाना पुलिस ने चेन स्नेचिंग की वारदात करने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपी एक बुजुर्ग महिला डॉक्टर की सोने की चेन लूटकर भाग रहे थे, लेकिन इसी दौरान उनकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तिलक नगर पुलिस के मुताबिक 74 वर्षीय रिटायर्ड डॉक्टर कीर्ति तिवारी अपने घर से मंदिर जा रही थीं। तभी बाइक सवार बदमाश जाहिद पुत्र मेंहदी हुसैन निवासी खिलचीपुर और गुफरान पुत्र बाबू अली निवासी पलोद वहां पहुंचे और उनके गले से सोने की चेन झपट ली। वारदात के दौरान चेन का कुछ हिस्सा महिला के गले में रह गया, जबकि बाकी हिस्सा आरोपियों के हाथ में चला गया। चेन लूटकर भागने के दौरान आरोपियों की बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत दोनों बदमाशों को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी।

तालाब में नहाने गया स्कूली छात्र डूबा

दोस्तों के साथ पानी में उतरा था, बाहर ही नहीं आया, सर्चिंग में जुटी एसडीआरएफ टीम की टीम

इंदौर। बाणगंगा इलाके में रहने वाला एक छात्र कृष्णा रविवार को टिगरिया बादशाह स्थित तालाब में डूब गया। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने मशक्कत कर उसका शव बाहर निकाला।

बताया जा रहा है कि वह अपने चार दोस्तों मयंक, शिवांशु, प्रिंस और अमन के साथ नहाने गया था। इस दौरान वह गहराई में चला गया और फिर दिखाई नहीं दिया। दोस्तों ने परिजनों को सूचना दी। मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची और छात्र की तलाश शुरू की गई।

बाणगंगा पुलिस के मुताबिक कुम्हार खाड़ी निवासी 16 वर्षीय कृष्णा पिता कुलदीप राजावत अपने दोस्तों के साथ टिगरिया बादशाह इलाके में नहाने पहुंचा था। नहाते समय वह गहरे पानी में चला गया। कुछ देर बाद जब वह दिखाई नहीं दिया तो दोस्तों ने परिजनों और पुलिस को सूचना दी।

इस साल 10वीं की परीक्षा दी थी

दोस्तों के मुताबिक वे दोपहर करीब 1 बजे तालाब पर पहुंचे थे। पुलिस के अनुसार एसडीआरएफ की टीम कृष्णा की तलाश में जुटी हुई है। परिवार ने बताया कि कृष्णा ने इस साल 10वीं कक्षा की परीक्षा दी थी।

स्टेटस लगाने से रोका तो चाकू मारा

इंदौर। लसूड़िया पुलिस ने वारदातों के मामले में 17 वर्षीय नाबालिग के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोपी अपने परिचित के परिवार की फोटो मोबाइल स्टेटस पर लगा रहा था। इसका विरोध करने पर उसने हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक, रविवार नगर निवासी कमल राठौर की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है।

क्राइम ब्रांच ने पकड़ा फरार आरोपी

डेढ़ लाख की ब्राउन शुगर मामले में थी तलाश, अवैध हथियार सप्लायरों को देता था

इंदौर,(नप्र)। क्राइम ब्रांच ने डेढ़ लाख रुपए की ब्राउन शुगर तस्करी मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। रविवार को टीम ने मामले का खुलासा किया। आरोपी से पूछताछ कर अन्य जानकारियां जुटाई जा रही हैं।

क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए फरार आरोपी विमल श्रीवास निवासी परदेशीपुरा को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक, पहले गिरफ्तार किए गए आरोपी साहिल से पूछताछ और मुखबिर की सूचना के आधार पर उसकी तलाश की जा रही थी।

जांच में सामने आया कि आरोपी अन्य राज्यों से अवैध हथियार खरीदकर इंदौर में सप्लायरों तक पहुंचाता था। इससे पहले क्राइम ब्रांच ने सौरभ, गौरव और साहिल को गिरफ्तार

कर उनके कब्जे से 15 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की थी। उसी मामले की अगली कड़ी में साहिल से पूछताछ के बाद विमल श्रीवास का नाम सामने आया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से दो अवैध देशी पिस्टल भी जब्त की हैं। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि वह प्राइवेट नौकरी करता है और 10वीं तक पढ़ा है। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है।

गुंडे-बदमाशों के विरुद्ध वीकेंड की स्पेशल चेकिंग लगातार जारी

इंदौर,(नप्र)। शहर में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु पुलिस कमिश्नर इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में, एडिशनल कमिश्नर (का./व्य.) मयंक अवस्थी व एडिशनल कमिश्नर (क्राइम/मुख्यालय) इंदौर आर.के. सिंह के मार्गदर्शन में इंदौर शहर के चारों जोन में, दिनांक 16-17 मई को शाम से दरमियानी रात तक नगरीय इंदौर के संबंधित क्षेत्र के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों व थाना प्रभारियों के साथ पुलिस फोर्स ने सभी थाना क्षेत्रों में गुंडे बदमाशों असामाजिक तत्व पर निगरानी एवं धरपकड़ के लिए वीकेंड की स्पेशल सरप्राइज चैकिंग व पेट्रोलिंग की गई।

इस दौरान इंदौर पुलिस द्वारा गुंडे/बदमाशों व असामाजिक तत्वों की निगरानी करते हुए बड़ी संख्या में बदमाशो को चैक करते हुए, उनमे से 439 पर उचित वैधानिक कार्यवाही की गई हैं। इंदौर पुलिस द्वारा गुंडे/बदमाशों एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध इस प्रकार की कार्यवाही आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

दिनदहाड़े हत्या के प्रयास का आरोपी धराया

इंदौर। थाना चंदन नगर क्षेत्र अंतर्गत चंदू वाला ऑफिस, चंदू वाला रोड, चंदन नगर इंदौर पर रहने वाले फरियादी/मजरूम नेहबूब कुरैशी पिता जबार कुरैशी निवासी निझा वाला रोड, डॉ. खत्री के पास, चंदन नगर इंदौर के साथ आरोपी सुनील द्वारा पुरानी रंजिश एवं जान से मारने की नियत से लोहे के तेजधार चाकू से पेट में वार किया गया, जिससे मजरूम गंभीर रूप से घायल होकर उपचाररत है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना चंदन नगर पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल एवं आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तथा तकनीकी साक्ष्यों एवं मुखबिर तंत्र की सहायता से आरोपी की पतारसी की गई। पुलिस टीम द्वारा घटना के कुछ ही घंटों के भीतर आरोपी सुनील को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी द्वारा घटना करना स्वीकार किया गया। आरोपी से घटना में प्रयुक्त आलाकारक चाकू जप्त किया गया है ।

सयाजी होटल्स (इंदौर) लिमिटेड
सीआईएन : L55209MP2018PLC076125
पंजीकृत कार्यालय: एच-1, स्कीम नंबर 54, विजय नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश - 452010
दूरभाष : 0731-4006666, ईमेल आईडी: cs@shilindore.com, वेबसाइट: www.shilindore.com

31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित स्वतंत्र वित्तीय परिणामों का सारांश
(राशि लाख रुपये में, ईपीएस के आंकड़ों को छोड़कर)

क्र.	विवरण	स्टैंडअलोन			
		31.03.2026 को समाप्त तिमाही (लेखापरीक्षित)	31.03.2025 को समाप्त तिमाही (लेखापरीक्षित)	वित्तीय वर्ष समाप्त 31.03.2026 (लेखापरीक्षित)	वित्तीय वर्ष समाप्त 31.03.2025 (लेखापरीक्षित)
1	परिचालन से कुल आय (शुद्ध)	2959.94	2951.13	10,655.37	10567.72
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / हानि (कर, अपवाद और / या असाधारण मदों से पहले)	138.29	500.93	1,176.56	1342.40
3	अवधि के लिए कर से पहले शुद्ध लाभ / हानि (अपवाद और / या असाधारण मदों के बाद)	13.29	500.93	1,051.56	1342.40
4	अवधि के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ / हानि (अपवाद और / या असाधारण मदों के बाद)	17.52	442.79	800.73	1057.11
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ / हानि (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) सहित)	33.75	440.28	801.87	1036.99
6	इक्विटी शेयर पूंजी	304.66	304.66	304.66	304.66
7	पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित बैलेंस शीट में दर्शाए गए आरक्षित निधि (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि को छोड़कर)	-	-	-	-
8	प्रति शेयर आय (₹10/- प्रत्येक) (निरंतर और असंबद्ध परिचालन के लिए) मूल (Basic)	0.58	14.54	26.28	34.70
	पतला (Diluted)	0.58	14.54	26.28	34.70

टिप्पणी: उपरोक्त, 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है, जिसे सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल किया गया है। 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट **www.bseindia.com** और कंपनी की वेबसाइट **www.shilindore.com** पर उपलब्ध है और इसे नीचे दिए गए **क्यूआर कोड** को स्कैन करके भी देखा जा सकता है।

स्थान : **इंदौर**
दिनांक : **16.05.2026**

बोर्ड के आदेश से
सयाजी होटल्स (इंदौर) लिमिटेड
Sd/-
थोट्टापुल्ली नारायणन उन्नी, अध्यक्ष

दो मैंगो शेक प्रतिष्ठानों में खाद्य कारोबार बंद

हाट बाजारों में हल्दी जांच अभियान जारी,कुल 12 नमूने जांच हेतु लिए गए

इंदौर,(नप्र)। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा प्रशासन, इंदौर द्वारा ग्रीष्म ऋतु के दृष्टिगत पेय पदार्थों एवं खुले बाजारों में विक्रय किए जा रहे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच हेतु सतत कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों एवं हाट बाजारों में निरीक्षण एवं जांच कार्रवाई की गई।

गुजरात रस पर कार्रवाई- स्नेहलतागंज, इंदौर स्थित गुजरात रस का निरीक्षण किया गया। मौके पर निमार्ता राजेंद्र पटेल उपस्थित पाए गए। निरीक्षण के दौरान मैंगो शेक निर्माण एवं विक्रय किया जाना पाया गया। मौके से दो मैंगो शेक, शक्कर एवं खाद्य रंग, इस प्रकार कुल 4 नमूने जांच हेतु लिए गए। निरीक्षण में खाद्य पंजीयन में प्रतिष्ठान का पता व्यवस्थित एवं स्पष्ट रूप से अंकित नहीं पाया गया। उक्त अनियमितता के कारण आगामी आदेश तक निर्माण कार्य अवरुद्ध कराया गया।

योगी आमरस भंडार पर कार्रवाई- योगी आमरस भंडार, 17 सुभाष मार्ग, चिमन बाग चौराहा, इंदौर का खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल द्वारा निरीक्षण किया गया। मौके पर चंद्रहास पटेल, प्रोपराइटर, खाद्य प्रतिष्ठान का संचालन करते हुए पाए गए। निरीक्षण के दौरान परिसर में मैंगो शेक का विक्रय किया जाना पाया गया। मौके पर प्रतिष्ठान हेतु वैध खाद्य पंजीयन उपलब्ध नहीं पाया गया। मौके से मैंगो शेक एवं मैंगो शेक निर्माण में उपयोग किए जाने वाले खाद्य रंग के कुल दो नमूने जांच हेतु लिए गए। प्रतिष्ठान में संबंधित खाद्य प्रकार हेतु वैध खाद्य पंजीयन नहीं पाए जाने के कारण वैध पंजीयन प्राप्त किए जाने तक खाद्य कारोबार बंद कराया गया।

हाट बाजारों में हल्दी की जांच अभियान- कलेक्टर शिवम वर्मा द्वारा खुले बाजार एवं हाट बाजारों में विक्रय की जा रही हल्दी की गुणवत्ता जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।

Bandhan Bank
रीजनल ऑफिस: नेताजी मार्ग, मीठाखली छः रास्ते के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-06. फोन : +91-79-26421671-75

सांकेतिक आधिपत्य (कब्जा) सूचना

एतदर्थ सूचना दी जाती है कि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 कि धारा 13(12) एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़ते हुए अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग के तहत आधिकृत अधिकारी ने खाते(अकाउंट) के सामने उल्लेखित तिथि को डिमांड नोटिस (मांग पत्र) भेजा था व नोटिस प्राप्ति के 60 दिवस के अन्दर राशि की मांग की गई थी। ऋणी द्वारा भुगतान करने में असफल रहने पर कार्यदार और आम जनता को नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है की अधिहस्तांतरकर्ता ने प्रपठित अधिनियम कि धारा 13 की उपधारा(4) सपठित नियम 8 के तहत नीचे लिखे वर्णन खातों में वर्णित बंधक सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा ले लिया है। अतः आम कार्यदार और आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित संपत्तियों के बारे में कोई व्यवहार न करें और इन संपत्तियों के साथ किसी व्यवहार पर रह राशि, ब्याज, खर्च एवं शुल्क के साथ बैंक को चुकाना होगा। सुरक्षित सम्पत्ति को रिडीम/छाएन लेने के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) में उपलब्ध प्रावधानों के तहत ऋणियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ऋणियों के नाम, मेसर्स और ऋण खाता सं.	बंधक संपत्ति का विवरण (प्रतिभूति आस्तियां)	मांगपत्र की तिथि	सांकेतिक कब्जे की तिथि	कुल बकाया राशि, मांगपत्र की तारीख तक
देव नारायण पाटीदार सुनीता पाटीदार 20008160001811	सभी चल और अचल संपत्ति, जो संपत्ति: प्लॉट नंबर 37,एल एस नंबर 99, ग्राम अलाउपरोट, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश, 465001 हैं और जो आबादित है: उत्तर: दिनेश की ज़मीन, पूर्व: राम चंद्र का मकान, पश्चिम: बेस सिंह का मकान, दक्षिण: सड़क	नवंबर 16, 2024	मई 12, 2026	रु.9,12,831.19
रेवैंद्र सिंह हाड़ा शुभी सिंह हाड़ा 90001397506503	सभी चल और अचल संपत्ति, जो संपत्ति: प्लॉट नंबर 527, हाई टेक सिटी कॉलोनी में स्थित, कुल क्षेत्रफल 87.82 वर्ग मीटर, ग्राम कमलिया, पी.एच.. नंबर 25, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश- 465333 हैं और जो आबादित है:उत्तर: प्लॉट नंबर 528, पूर्व: कॉलोनी की सड़क, पश्चिम: प्लॉट नंबर 542, दक्षिण: प्लॉट नंबर 526	दिसंबर 31, 2025	मई 12, 2026	रु.18,58,503.96

स्थान: शाजापुर
तारीख: मई 17, 2026

प्राधिकृत अधिकारी
बंधन बैंक लिमिटेड